4
अध्याय

4 अध्याय

प्रदूषण निवारण और घाट विकास

4.1. परिचय

एन.जी.आर.बी.ए. ने मिशन स्वच्छ गंगा को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ शुरू (नवंबर 2010) किया कि 2020 तक किसी भी नगरपालिका या उद्योग का अशोधित अपशिष्ट गंगा नदी में नहीं बहाई जाए। नमामि गंगे (मई 2015) के अंतर्गत सीवेज शोधन, घाट और नदी फ्रंट विकास एवं ग्रामीण स्वच्छता के लिए कई हस्तक्षेपों के पैमाना और क्षेत्र को कई एजेंसियों, मंत्रालयों और विभागों को शामिल करके बढ़ाया गया है।

2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. द्वारा एस.पी.एम.जी., निष्पादन एजेंसियों (ई.ए.) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को जारी की गई राशि तथा उनके द्वारा किए गए व्यय का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2014-17 के दौरान एन.एम.सी.जी. द्वारा जारी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

एस.पी.एम.जी., ई.ए. और सी.पी.एस.यू.	2014-15		2015-16		2016-17	
	एन.एम.सी.जी. द्वारा जारी	एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा किया गया व्यय	एन.एम.सी.जी. द्वारा जारी	एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा किया गया व्यय	एन.एम.सी.जी. द्वारा जारी	एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा किया गया व्यय
बिहार		10.58	41.21	62.70	82.03	18.53
दिल्ली			4.96	4.96	2.17	2.17
हरियाणा			30.00	30.00	52.73	37.00
झारखंड	0.97	0.47	-	1.03	46.18	12.74
उत्तराखंड	4.26	8.91	7.70	5.64	30.66	10.36
उत्तर प्रदेश	74.58	12.53	76.82	114.96	287.17	187.73
पश्चिम बंगाल	73.85	38.44	122.96	130.45	99.25	86.83
सी.पी.एस.यू.						
ई.आई.एल.			5.77		15.73	18.29
ई.पी.आई.एल.					3.00	0
एन.बी.सी.सी.			4.00		0	0
एन.पी.सी.सी.					3.35	1.40
वैपकोस			6.78		13.31	5.00
कुल	**153.66**	**70.93**	**300.20**	**349.74**	**635.58**	**380.05**

स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकता है कि एन.एम.सी.जी. ने सात राज्यों के एस.पी.एम.जी. और ई.ए. और पांच सी.पी.एस.यू. को ₹ 1,089.44 करोड़ जारी किए, जिसमें से ₹ 800.72 करोड़ (74 प्रतिशत) एस.पी.एम.जी./ई.ए.एस./सी.पी.एस.यू. द्वारा उपयोग किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम.ओ.डी.डब्ल्यू.&एस.) के माध्यम से राज्यों को आवंटित किए गए निधि की चर्चा अध्याय 5 में अलग से की गई है।

वर्तमान अध्याय में सीवेज उत्पादन, नालों के अवरोधन और चयनित शहरों, जिससे होकर गंगा और इसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, में स्थापित शोधन क्षमता से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है। यह सीवरेज शोधन, अवरोधन और मोड़, घाट, शमशान, नदी फ्रंट विकास और नहर के लिए एन.एम.सी.जी. द्वारा एस.पी.एम.जी. और ईए के माध्यम से किए गए परियोजनाओं की भी चर्चा करता है।

4.2. शहर

4.2.1 नमामि गंगे के तहत सीवेज शोधन के लक्ष्य की गैर-उपलब्धि

नमामि गंगे कार्यक्रम[28] में सभी नृविध्यकारी गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों का कचरा प्रबंधन, जल प्रदूषण स्तर में कमी आदि के स्वच्छता को लक्षित करना था। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की तिथि के साथ ही उसके निर्धारित लक्ष्यों को तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: एस.टी.पी. के लिए लक्ष्य

लक्ष्य		संस्वीकृति की तिथि से लक्ष्य की तिथि
1.	एस.टी.पी. के लिए डी.पी.आर. तैयार करना	अक्टूबर 2015
2.	एस.टी.पी. की निविदा	मार्च 2016
3.	कार्य सौंपना	सितंबर 2016
4.	एस.टी.पी. के समापन	सितंबर 2018

एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, गंगा नदी के साथ स्थित पांच घाटी राज्यों में 106 शहरों में शोधन क्षमता का अंतर 2,109 मिलियन लिटर प्रति दिन (एम.एल.डी.) (वर्ष 2016) था। कार्यान्वयन के तहत एस.टी.पी. परियोजनाओं के साथ शोधन क्षमता में अंतर का राज्यवार विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

28 नमामी गंगे को मंत्रिमंडल मंजूरी 13 मई 2015 को दी गई। कार्यक्रम का कार्यान्वयन 2020 तक किया जाना था।

तालिका 4.3: कार्यान्वयन के तहत एस.टी.पी. परियोजनाओं के साथ शोधन क्षमता का अंतर

राज्य	2016 में उपचार क्षमता अंतर (एमएलडी)	कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं (एम.एल.डी.में शोधन क्षमता)			
		चालू	निविदा के तहत	अनुमोदित	प्रस्तावित
बिहार	556	222	0	239	86
झारखंड	15	12	0	4	0
उत्तराखंड	79	1	93	38	0
उत्तर प्रदेश	428	393	50	103	102
पश्चिम बंगाल	1,031	84	0	92	41
कुल	**2,109**	**712**	**143**	**476**	**229**

स्रोत: एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित लक्ष्य तिथियों के अनुसार, सभी एस.टी.पी. के लिए कार्य सौंपने का काम सितंबर 2016 तक पूरा करना था। 106 शहरों में शोधन क्षमता का अंतर 2,109 एम.एल.डी. थी लेकिन 712 एम.एल.डी. की शोधन क्षमता वाली एस.टी.पी. परियोजनाएं अगस्त 2017 तक चल रही थीं। 1,397 एम.एल.डी. के संबंध में कार्य अभी तक दिया जाना बाकी था।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि कई छोटे शहर थें, जहां एस.टी.पी. बनाने के लिए प्रदूषण का भार बहुत छोटा था और यह इस सीवेज के शोधन के लिए अन्य कई विकल्प तलाश रहा था। इसके अलावा, एन.एम.सी.जी. ने कहा कि निर्माणाधीन/निविदांतर्गत परियोजनाएं अंतर को काफी कम कर देगा। हालांकि, जवाब मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की गैर-उपलब्धि के बारे में चुप था।

4.2.2 सीवेज उत्पादन, नालियों का अवरोधन और स्थापित क्षमता

हमने सीवेज उत्पादन, नालियों के अवरोधन और 58 शहरों और दिल्ली राज्य के उनके संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नगरपालिका/जल बोर्डों से स्वतंत्र रूप से शोधन क्षमता के बारे में जानकारी एकत्र की। राज्यवार आंकड़ों का ब्योरा तालिका 4.4 में दिया गया है, जो एन.एम.सी.जी. द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से भिन्न था, जैसा उपर्युक्त तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: नमूना शहरों में सीवेज डेटा का राज्यवार विवरण

राज्य / नमूना शहरों की संख्या	सीवेज उत्पादन (एम.एल.डी.)	सीवेज शोधन (एम.एल.डी.)	अशोधित सीवेज (एम.एल.डी.)		खुले नाले
				%	
बिहार / 8	637	70	567	89	42
दिल्ली	3,270	2,090	1,180	36	4
हरियाणा / 2	102	76	26	34	2
झारखंड / 2	12	0	12	100	7
उत्तराखंड / 8	136	65	71	52	32
उत्तर प्रदेश / 16	1,252	535	717	57	147
पश्चिम बंगाल / 22	700	162	538	77	192

स्रोत: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ नगरपालिका/ जल बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी

तालिका 4.4 दर्शाता है कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों (यमुना) को प्रवाहित अधिकतम अशोधित सीवेज (1,180 एम.एल.डी.) दिल्ली में है और न्यूनतम झारखंड (12 एम.एल.डी.) के चुनिंदा शहरों में है। हालांकि, गंगा नदी के साथ स्थित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा शहरों में कुल सीवेज उत्पादन के मामले में 75 प्रतिशत से अधिक अशोधित सीवेज हैं।

राज्य प्राधिकरणों (तालिका 4.4) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुकाबले एन.एम.सी.जी. (तालिका 4.3) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में व्यापक विचलन, इन महत्त्वपूर्ण मापदंडों के लिए पूर्ण, अद्यतन और सुसंगत आंकड़ा रखने हेतु एन.एम.सी.जी. द्वारा राज्य प्राधिकरणों के साथ निकट समन्वय से काम करने की आवश्यकताओं की ओर इंगित करता है ताकि संबंधित हस्तक्षेप को प्रभावी रूप से नियोजित किया जा सके।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) उत्तर दिया कि उसने शहरों के लिए सीवेज उत्पादन और सीवेज शोधन के अंतराल को पाटने के लिए कई परियोजनाओं को संस्वीकृत किया था। इसके अलावा, निर्माणधीन/निविदाधीन परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण रूप से अंतर को कम करेंगी। दिल्ली जल बोर्ड इस अंतर को पूरा करने के लिए 15 अतिरिक्त एस.टी.पी. का निर्माण, कोंडली और रिथाला एस.टी.पी. का उन्नयन और क्षमता वृद्धि के साथ ओखला एस.टी.पी. को बदल रहा है। झारखंड में, साहिबगंज और राजमहल में दो सीवरेज परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जो 15.5 एम.एल.डी. की एस.टी.पी. क्षमता सृजित करेंगी। साहिबगंज में परियोजना निर्माणाधीन है।

नमूने शहरों में कुछ उदाहरणों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन बाद के पैराग्राफों में किया गया है।

4.2.2.1 पश्चिम बंगाल: (क) हमने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी.) द्वारा चिन्हित किए गए नालों के अलावा, गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले 12[29] नगर पालिकाओं में 65 नालों की पहचान की। इससे संकेत मिलता है कि डब्ल्यूबीपीसीबी द्वारा बनाए गए नालों की सूची व्यापक और अद्यतन नहीं थी। 12 नगर पालिकाओं में से कुछ चिन्हित नालों को प्लेट्स 4.1 और 4.2 में दिखाया गया है।

पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में सीधे प्रवाहित सीवेज

प्लेट 4.1: स्टीमर घाट आउटफॉल (जियागंज-अजीमगंज)

प्लेट 4.2: मणिपुर घाट निकास (नबाद्वीप)

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि नालों के डिस्चार्ज में जरूरी रूप से सीवेज घटक नहीं होते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण योगदान अन्य स्रोतों से आ सकता है।

हालांकि, एन.एम.सी.जी. का उत्तर विशिष्ट नहीं था और नालों की सूची के बारे में चुप था।

(ख) तीन शहरों (जियागंज-अजीमगंज, हुगली-चिंसुरा और बैद्योबाटी) में कचरे को गंगा नदी के तट पर ढ़ेर किया जा रहा था जैसा कि प्लेट्स 4.3 और 4.4 में नीचे दर्शाया गया है।

---

29 भद्रेश्वर (2), बैद्योबाटी (6), (4), जीयागंज-अजीमगंज (3), नबाद्वीप (1), बैरकपुर (1), कृष्णगर (1), महेशतला (9), हुगली-चिचुरा (4), चंदननगर (4), डायमंड हार्बर (6), भाटपाड़ा (25), बज बज (3)।

प्लेट 4.3: जियागंज और अजीमगंज में गंगा नदी के किनारे ठोस कचरे (मुख्य रूप से प्लास्टिक) का ढ़ेर	**प्लेट 4.4: बैद्योबाटी में तिन पैसा घाट पर ठोस कचरे का ढ़ेर**

(ग) भाटपाड़ा नगरपालिका को अपने जल शोधन संयंत्र के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि किनारों पर स्थित 26 कारखानों से निकल रहे तेल मिश्रित पानी ने जल शोधन संयंत्र के फिल्टर हाउस के रेत बिस्तर को अवरूद्ध कर दिया था। इसके कारण, नगर पालिका को इस संयंत्र को छह से आठ घंटों तक बंद करना पड़ा जिससे पानी की कमी हो गई। इस मामले से फरवरी, 2017 में डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी. को अवगत कराया गया था लेकिन डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी. ने मई 2017 तक कोई कार्रवाई नहीं किया था।

(घ) इसी प्रकार, हल्दिया में, ऑयल जेटी के पास की नाली में बहने वाला पानी तेल परत के साथ कवर किया गया पाया गया था। यह सीधे गंगा नदी में बहती है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने तेल के फैलाव से निपटने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु ₹ 15 करोड़ की राशि का कार्यादेश (जून 2016) दिया था जैसा कि नीचे प्लेट 4.5 और 4.6 में दर्शाया गया है।

प्लेट 4.5: ऑयल जेटी के पास की नाली में बहने वाले पानी को तेल की परत से ढंका हुआ पाया गया था	**प्लेट 4.6: किनारों पर स्थित कारखानों द्वारा प्रवाहित तेल के मिश्रित पानी ने रेत के बिस्तर को अवरुद्ध कर दिया**

4.2.2.2 उत्तर प्रदेश: कानपुर शहर के मामले में, दैनिक औसत सीवेज उत्पादन 453 एम.एल.डी. है, जिसकी कुल एस.टी.पी. क्षमता 423 एम.एल.डी. है। हालांकि, केवल 170.30 एम.एल.डी. सीवेज का शोधन कानपुर में किया जा रहा है तथा 282.70 एम.एल.डी. सीवेज अशोधित है। परिणामस्वरूप, 252.70 एम.एल.डी. की क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था। सिसामाऊ नाला के अवरोधन और मोड़ के लिए परियोजना सीवेज को हटाने के लिए लक्षित है ताकि 138.33 एम.एल.डी. की अधिशेष क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसलिए, इस परियोजना के पूरा होने के बाद भी अधिशेष एस.टी.पी. क्षमता का 114.37 एम.एल.डी. उपयोग किया जाएगा जिसके लिए अभी तक कोई परियोजना नहीं बनाई गई है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि उसने कानपुर के जिला 1 के लिए सीवरेज नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश जल निगम ने सीवरेज जिला II के लिए डी.पी.आर. तैयार किया है। सीवरेज परियोजनाओं का परिणाम सीवेज का मार्ग मौजूदा एस.टी.पी. की ओर बनाने में होगा।

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सीधे प्रवाहित सीवेज

प्लेट 4.7: कानपुर में गंगा नदी में गिरने वाला सिसामाऊ नाला

4.2.2.3 उत्तराखंड: आठ चयनित शहरों में से चार शहरों (मुनि की रेति, गोपेश्वर, बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग) में एस.टी.पी. सुविधा नहीं थी, जो नालियों के गैर-अवरोधन का एक प्रमुख कारण था।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि इन सभी शहरों के लिए एस.टी.पी. परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और उनके पूर्ण होने से सीवेज शोधन क्षमता में कोई कमी नहीं रहेगी।

उत्तराखंड में गंगा में सीधे प्रवाहित सीवेज

प्लेट 4.8: मातृ सदन नाला जो हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित हो रहा है।

4.3. नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, एस.पी.एम.जी. द्वारा ईएएस के माध्यम से ढांचागत परियोजनाएं लागू की जाती हैं। इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एस.टी.पी. की स्थापना), इंटरसेप्शन एंड डायवर्सन, घाट और श्मशान और कैनाल वर्क्स शामिल हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) घाटों और श्मशान और शहरों के कंडीशनल आकलन और व्यवहार्यता अध्ययन (सी.ए. और एफ.एस.) के संबंध में प्रवेश स्तर की गतिविधियों के काम में शामिल हैं। 2014-17 के दौरान, एन.एम.सी.जी. द्वारा 128 ढांचागत परियोजनाओं (₹ 10,638.75 करोड़) का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें से हमने विस्तृत जांच के लिए 70 परियोजनाओं (₹ 7,655.84 करोड़) का चयन किया जिसका विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: कुल और नमूनाकृत परियोजनाओं की राज्य/सी.पी.एस.यू. श्रेणी

राज्य/सी.पी.एस.यू.	परियोजनाएं	नमूना परियोजनाएं	नमूनाकृत परियोजनाओं की श्रेणी		
			सीवेज/एस.टी.पी./आई एंड डी/नहर निर्माण	घाट व श्मशान और आरएफडी	बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित
1. बिहार	14	7	6	1	
2. दिल्ली	2	2	1	1	
3. हरियाणा	2	2	2		

राज्य/सी.पी.एस.यू.	परियोजनाएं	नमूना परियोजनाएं	नमूनाकृत परियोजनाओं की श्रेणी		
			सीवेज/एस.टी.पी./आई एंड डी/नहर निर्माण	घाट व श्मशान और आरएफडी	बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित
4. झारखंड	6	4	1	2	1
5. मध्य प्रदेश	2	2	2		
6. उत्तर प्रदेश	21	10	10		
7. उत्तराखंड	38	19	17	2	
8. पश्चिम बंगाल	16	9	7	2	
9. ई.आई.एल.	11	6		6	
10. ई.पी.आई.एल.	4	2		2	
11. एन.बी.सी.सी.	5	3		3	
12. एन.पी.सी.सी.	1	1		1	
13. वैपकोस	6	3		3	
कुल	**128**	**70**	**46**	**23**	**1**

आर.एफ.डी.: नदी फ्रंट विकास

सीवेज शोधन संयत्र/अवरोधन और मोड़ परियोजनाएं/नहर का काम, घाट/श्मशान कार्यों और बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों के मामले में लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्रमशः पैराग्राफ 4.4, 4.5 और 4.7 में की गई हैं।

4.4 सीवेज शोधन संयत्र, अवरोधन एवं मोड़ परियोजनाएं और नहर

लेखापरीक्षा में कुल मिलाकर ₹ 5,111.36 करोड़ के लागत के 46 सीवेज शोधन संयत्र, अवरोधन एवं मोड़ परियोजनाएं तथा नहर के काम का नमूना लिया गया था। इनमें से ₹ 680.36 करोड़ की राशि की नौ परियोजनाएं पूर्ण हो गई थीं। तीन से 82 महीने के बीच में ₹ 2,710.24 करोड़ की लागत वाली 26 परियोजनाओं में देरी हुई थी। एस.टी.पी., आई & डी और नहर के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.4.1. परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी

4.4.1.1 बिहार: एस.पी.एम.जी. ने ₹ 328.67 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत वाले बेगुसराय, बक्सर, हाजीपुर और मुंगेर में चार परियोजनाओं के लिए संविदा (दिसंबर 2011

से मार्च 2012) दिया। परियोजनाएं 24 महीनों के भीतर पूरी की जानी थीं। हालांकि, तीन से अधिक वर्षों की देरी के बाद भी जून 2017 तक सभी चार परियोजनाएं अधूरी थीं। यह देखा गया कि जमीन को संवेदक को सौंप दिया गया था जिसमें 310 से 1,434[30] दिन तक देरी हुई थी।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि उसने पहले ही कार्यवाई की है और हाजीपुर, बेगुसराय और मुंगेर सीवरेज परियोजनाओं की समाप्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी कर दिया है तथा एस.पी.एम.जी./बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.यू.आई.डी.सी.ओ.) से उनकी भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया है।

इस प्रकार, समय पर साइट के गैर-कब्जे और संवेदक द्वारा काम समाप्त करने के कारण वहां अत्यधिक देरी हुई है।

4.4.1.2 मध्य प्रदेश: राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) ने तीन वर्षों के भीतर**,** बीहर नदी पर रीवा शहर में एस.टी.पी. स्थापित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी (जुलाई 2007)। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 4.29 करोड़ थी। हालांकि, भूमि की अनुपलब्धता के चलते, फरवरी 2011 तक काम की शुरूआत नहीं हुई थी। इस बीच, राज्य सरकार ने जमीन की पहचान की, परंतु 12 एम.एल.डी. क्षमता से एस.टी.पी. के निर्माण के लिए यह अपर्याप्त था। तदनुसार, राज्य सरकार ने उपलब्ध जमीन के अनुसार एक उपयुक्त तकनीक अपनाने का निर्णय लिया। प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मार्च 2011 तक पूरा होने के लिए परियोजना की लागत को ₹ 8.30 करोड़ तक संशोधित (फरवरी 2009) कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा शुरू में नियुक्त परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी काम को निष्पादित करने में असफल था, इसलिए राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण विभाग (पी.एच.ई.डी.) को काम सौंपने का निर्णय लिया (जुलाई 2010)।

हमने पाया कि फरवरी 2012 में साइट अधिग्रहण की गई थी, अर्थात् परियोजना की स्वीकृति के करीब तीन साल बाद तथा काम करने का कार्यादेश फरवरी 2013 में संवेदक को जारी किया गया था। परियोजना के पूरा होने की समय सीमा समय-समय पर विस्तारित की गई और अंत में (नवंबर 2016) नवम्बर 2017 तक विस्तारित की गई थी। इस प्रकार, परियोजना छह साल के बाद भी मार्च 2017 तक पूरी नहीं की जा सकी थी।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि जब तक कि ई.ए. के कब्जे में भूमि नहीं है ई.ए. के लिए कोई काम नहीं देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जो अनावश्यक देरी को कम करने में मदद करेगा।

---

[30] बेगुसराय- 1,434 दिन, बक्सर- 1,006 दिन, हाजीपुर-310 दिन, मुंगेर -546 दिन

इसके अलावा, एन.आर.सी.डी. ने ₹ 1.18 करोड़ की लागत के साथ मंदाकिनी नदी, चित्रकूट, सतना पर 4.7 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के लिए एक परियोजना को मंजूरी (अप्रैल 2009) दी। सभी कार्य तीन वर्षों में अर्थात मार्च 2012 के अंत तक पूरा किए जाने थे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी कार्य निष्पादित करने में असमर्थ था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि (जुलाई 2010) इस काम को लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) को सौंप दिया जाए।

हमने पाया कि मार्च 2013 में जमीन अधिग्रहण की गई थी और अप्रैल 2013 में काम करने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि, भूमि विवादों के कारण जुलाई 2013 से अप्रैल 2015 तक कार्य रुका रहा। हालांकि, मार्च 2017 में एस.टी.पी. का काम पूरा हो गया था, फिर भी यह कार्यात्मक नहीं हो पाया, क्योंकि मार्च 2017 तक हाई टेंशन लाईन का कनेक्शन अभी भी प्रगति में था।

इस प्रकार, एक एजेंसी कार्यान्वयन एजेंसी का चयन, जो तकनीकी रूप से अयोग्य थी, भूमि की अनुपलब्धता और प्रभावी निगरानी की कमी के कारण, निर्धारित तारीख के पाँच साल के बाद भी, परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) उत्तर दिया कि निष्पादन एजेंसियों का चयन राज्य सरकार का जनादेश है, लेकिन एन.एम.सी.जी. इस तरह के देरी को कम करने के लिए नियमित निगरानी कर रहा है।

4.4.1.3 उत्तराखंड: मार्च 2011 में ₹ 9.87 करोड़ की अनुमानित लागत से उत्तरकाशी में गंगोत्रीधाम के लिए सीवरेज सिस्टम योजना और एस.टी.पी. की मंजूरी दी गई थी, जिसे अप्रैल 2014 तक पूरा किया जाना था। हमने पाया कि यह परियोजना अभी भी अधूरी है यद्यपि ₹ 5.51 करोड़ खर्च किया गया था। नतीजतन, अशोधित सीवेज का 0.75 एम.एल.डी. भागिराथी (गंगा) में बहाया जा रहा था। बताए जाने पर, परियोजना प्रबंधक उत्तरकाशी द्वारा यह कहा गया था कि 2013 के बाढ़ के कारण मंदिर बंद होने और सड़क के रुकावट की वजह से यह परियोजना समय पर पूरा नहीं हो सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृति से छह साल और 2013 के बाढ़ से चार साल बीत गया था, परंतु कार्य अभी भी अधूरा था।

4.4.1.4 उत्तर प्रदेश: (i) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के लिए ए.ए.ए.ए. & ई.एस एन.जी.आर.बी.ए. के तहत जुलाई 2010 में ₹ 496.90 करोड़ की अनुमानित लागत पर वाराणसी में गंगा एक्शन प्लान (जी.ए.पी.) चरण-2 परियोजना को सहायता प्रदान की। हमने देखा कि ए.ए.&ई.एस. के अनुसार**,** परियोजना की मंजूरी की तारीख से 60 महीने के भीतर यानी 31 जुलाई 2015 तक कार्य पूरा हो जाना था। एन.एम.सी.जी. और जे.आई.सी.ए. से समय-समय पर बोली दस्तावेजों के चरणों में, पूर्व-

बोली बैठक में बोलीदाताओं की पूछताछ को मंजूरी और सभी पैकेजों की बोली मूल्यांकन रिपोर्ट पर जे.आई.सी.ए. से एन.ओ.सी. प्राप्त करने में प्रसंस्करण में देरी हुई। हालांकि, कार्य पैकेज सौंपने में 17 से 49 महीनों (निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौ महीने से अधिक अर्थात अप्रैल 2011 तक आवंटित किया गया था) की देरी के कारण, यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका था और परियोजना लागत ₹ 137.46[31] करोड़ तक बढ़ा दी गई। इसके बाद, ₹ 571.92 करोड़ का संशोधित डी.पी.आर. एन.एम.सी.जी. को भेज दिया गया, जिसे अभी तक (जून 2017) मंजूर नहीं किया गया है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि डी.पी.आर. पर विचार किया गया और उत्तर प्रदेश एस.पी.एम.जी. को परियोजना के लिए ए.ए.&ई.एस. की शर्त के अनुसार राज्य सरकार को लागत में वृद्धि का प्रस्ताव देने के लिए सलाह दी गई है।

(ii) जे.आई.सी.ए. सहायता प्राप्त जी.ए.पी.-II परियोजना के अंतर्गत, एन.आर.सी.डी. ने वाराणसी जिले में एस.टी.पी. भगवानपुर (आठ एम.एल.डी.) और दीनापुर (80 एम.एल.डी.) के पुनर्वास से संबंधित एक घटक को ₹ 14.90 करोड़ की लागत से मंजूरी (जुलाई 2010) दी।

हमने देखा कि परियोजना की मंजूरी की तिथि से सात साल की समाप्ति के बाद भी भौतिक प्रगति केवल 35.57 प्रतिशत है। यू.पी.जे.एन. द्वारा काम देने में 48 महीने तक की अत्यधिक देरी के चलते जिसके परिणामस्वरूप 2010-14 की अवधि के दौरान कीमतों में वृद्धि के कारण ₹ 3.74 करोड़ की लागत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, निष्पादन बाढ़, किसान आंदोलन, एस.टी.पी. के विभिन्न घटकों की अनुपलब्धता से पीड़ित है।

इसलिए वाराणसी में पुनर्वास और क्षमता वृद्धि कार्य समय-सारिणी से काफी पीछे है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि मौजूदा एस.टी.पी. के पुनर्वास में किसी भी क्षमता वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है। परियोजना को संशोधित समय सीमा के भीतर अर्थात जुलाई 2018 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, तथ्य यह है कि केवल 35.57 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए संशोधित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने की संभावना कम लगती है।

(iii) परियोजनाओं की तैयारी के लिए एन.आर.सी.डी. दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन अवधि के भीतर वर्तमान आबादी के लिए 100 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन डी.पी.आर. में मुहैया कराया जाना है। हमने देखा कि दो परियोजनाओं में, गढ़मुक्तेश्वर (₹ 46.51 करोड़) और जे.आई.सी.ए. सहायता प्राप्त जी.ए.पी.-II वाराणसी (₹ 496.90

---

[31] 1 से 5 पैकेज की दी गई लागत ₹ 488.77 करोड़ कार्य का संस्वीकृत अनुमानित लागत ₹ 351.31 करोड़ = लागत में वृद्धि ₹ 137.46 करोड़

करोड़) में सीवरेज परियोजनाओं के डी.पी.आर. में सीवरेज नेटवर्क के घरेलू कनेक्शन शामिल नहीं किए गए थें। गढ़मुक्तेश्वर के लिए ₹ 17.26 करोड़ की राशि तक के घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को अभी भी मंजूरी दिया जाना बाकी है (मई 2017)।

इस प्रकार, डी.पी.आर. में घरेलू कनेक्शन शामिल नहीं किए जाने से सीवरेज अवसंरचना के निर्माण पर बेकार निवेश और लक्षित उद्देश्य की गैर-उपलब्धि हुआ।

एन.एम.सी.जी. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2017) कि राज्य सरकार को सभी सीवरेज नेटवर्क परियोजनाओं के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अतीत में सलाह दी गई थी जिससे कि बनाई गई परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो सके।

4.4.2 परिनिर्धारित क्षति की गैर-वसूली

बिहार, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में तीन मामलों में विलंब के लिए परिनिर्धारित क्षति को संवेदकों से वसूल नहीं किया गया जैसा कि तालिका 4.6 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड परियोजना के संबंध में जुर्माना नहीं वसूला जा सका क्योंकि सुरक्षा राशि के लिए ₹ 69.20 लाख दिए गए सावधि जमा रसीद (टी.डी.आर.) फर्जी पाया गया।

तालिका 4.6: परिनिर्धारित क्षति की गैर-वसूली

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	वसूल किया जाने वाला परिनिर्धारित क्षति	वसूल किया गया एल.डी. (₹)	वसूल नहीं किया गया एल.डी. (₹)
बिहार	बेगुसराय, मुंगेर और हाजीपुर में निकास प्रणाली और एस.टी.पी. परियोजनाएँ	27.45 करोड़	16.61लाख	27.28 करोड़
उत्तराखंड	उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के लिए एक निकास प्रणाली का निर्माण और एक एस.टी.पी.	69.20 लाख	शून्य	69.20 लाख
उत्तरप्रदेश	इलाहाबाद में जिला क में निकास और गैर-निकास	9.79 करोड़	15.00 लाख	9.64 करोड़

बिहार शहरी एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (बी.यू.आई.डी.सी.ओ.) ने जवाब दिया (जून 2017) कि बेगूसराय और हाजीपुर के सिवरेज प्रणाली और एस.टी.पी. परियोजनाओं में शेष जूर्माना फाइनल रनिंग अकांउट बिल से काट लिया जाएगा। मुंगेर परियोजना के

लिए, इसने कहा कि संविदा को निष्पादन बैंक गारण्टी की जब्ती के साथ पहले ही खत्म किया जा चुका है।

उत्तरप्रदेश के संबंध में, एन.एम.सी.जी. ने (अगस्त 2017) कहा कि ठेकदार ने संस्वीकृत लागत के अन्दर कार्य को पूरा किया है और उसने अपने ऊपर थोपे हुए परिनिर्धारित क्षति की रकम पर पुर्नविचार करने का अनुरोध किया है। ठेकदार का आवेदन वैधानिक दृष्टि से विचाराधीन है। शेष बची हुई राशी को ठेकदार के अंतिम बिल से या उसके द्वारा जमा किये गए निष्पादन बैंक गारण्टी से वसूल किया जाएगा।

4.4.3 पूर्ण परियोजनाओं के संबंध में अवलोकन

4.4.3.1 पश्चिम बंगालः (i) बेलियाघाट सर्कुलर कैनाल पर ₹ 10.22 करोड़ की लागत से प्रदूषण की कमी के लिए एक परियोजना जनवरी 2015 में तीन साल और दो महीना के अतिरिक्त समय के साथ पूरा हुआ।

कार्य में गंदी नालियों के दिक् परिवर्तन और अवरोधन फेंसिंग, नलकूपों का निर्माण, वानिकीकरण इत्यादि सम्मिलित है। स्थल भ्रमण के दौरान (मई 2017), यह देखा गया था कि नहर का पानी बिल्कुल गतिहीन और ठोस कचरे के डंपिंग और खुले में शौच इत्यादि के कारण प्रदूषित था। आगे, बाड़े का कंक्रीट स्तम्भ जो जनवरी 2015 में पूरा किया गया बिल्कुल नष्ट हो चुका था। बहुत जगहों में, गंदी बस्तियों में रहने वाले/शरणार्थियों, कार रिपेयरिंग दूकान, गैरेज, भोजनालयों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। बहुत स्थानों पर अस्थायी प्रसाधन थे जो मल-मूत्रों को नहरो में गिरा देंते थे। इस प्रकार साइट को सुरक्षित रखने के लिए ₹ 3.13 करोड़ का बाड़ लगाने का कार्य हुआ जिसे बनाया नहीं रखा जा सका। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (के.एम.सी.) ने वानिकीकरण का कार्य नहीं किया और बिना कारण बताए हुए ₹ 25 लाख की राशि एस.पी.एम.जी. को वापस कर दिया। यदि यह कार्य के.एम.सी. के द्वारा किया गया होता तो अतिक्रमण को कुछ हद तक रोका गया होता जिससे कार्य अधिक सफल हुआ होता।

के.एम.सी. ने स्वीकार किया (जून 2017) कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है।

पश्चिम बंगाल के बेलियाघाटा सर्कुलर कैनाल के गतिहीन जल और अतिक्रमण

प्लेट 4.9: बेलियाघाटा सर्कुलर कैनाल के गतिहीन जल (मई 2017)

प्लेट 4.10: बफर जोन के अंदर गंदी बस्तियाँ। बाड़े के टुटे हुए स्तम्भों को देखा जा सकता है। (मई 2017)

(ii) गायेशपुर क्षेत्र में 8.33 एम.एल.डी. क्षमता के एक एस.टी.पी. निर्माण की परियोजना को ₹ 168.67 करोड़ (फरवरी 2011) में संस्विकृत किया गया। फरवरी 2014 तक कार्य को पूरा किया जाना था।

एस.पी.एम.जी., गायेशपुर नगरपालिका और कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण (के.एम.डी.ए.) के बीच हुए एम.ओ.ए. के अनुसार, नगरपालिका को सीवर लाइनों के घर के कनेक्शन को सुनिश्चित करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22,000 घरों में से केवल 25 घरों में मैनहोल/हाउस पिट के साथ सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। यह परियोजना दिसम्बर 2016 में पूरी की गई तथआ परियोजना को घरेलू कनेक्शन पूरा किए बिना परिरक्षण के लिए (जनवरी 2017) छह महीने (जून 2017) के लिए रखा गया। फलतः 8.33 एम.एल.डी. सीवेज की डिज़ाइन क्षमता के विरुद्ध, एस.टी.पी. एक एम.एल.डी.[32] से कम कार्य कर रहा था जो कम उपयोग को प्रदर्शित करता है।

एन.एम.सी.जी. ने बताया (अगस्त 2017) कि राज्य सरकार गृह कनेक्शन के लिए अलग परियोजना शुरु कर रही है।

4.4.3.2 उत्तराखंडः उत्तराखंड पेयजल निगम (यू.जे.एस.) सीवरेज नेटवर्क और एस.टी.पी. के निर्माण के लिए जिम्मेवार है। उत्तराखंड जल संस्थान प्रतिष्ठानों और घरों को सीवरेज नेटवर्क के साथ जोड़ने और इसके संचालन और मरम्मत के लिए जिम्मेवार है। यह देखा गया कि ऋषिकेष में तपोवन क्षेत्र पर 3.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण पूरा किया गया और एस.टी.पी. जल संस्थान को बिना सौंपें लेखापरीक्षा की तारीख (जून 2017) तक

[32] प्लांट कम से कम 30 मिनट चल रहा था। 8.33 एम.एल.डी. के लिए आठ घंटो का संचालन, परिशोधित सीवेज एक एम.एल.डी. से कम था।.

मई 2016 से संचालन में था। आगे यह देखा गया कि परियोजना क्षेत्र में घरों को एस.टी.पी. के साथ नहीं जोड़ा गया था। परिणामस्वरूप, कुल क्षमता 3.5 एम.एल.डी. के विरुद्ध केवल 0.29 एम.एल.डी. सीवेज का शोधन किया जा रहा था।.

एन.एम.सी.जी. ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और जवाब दिया (अगस्त 2017) कि इसने विभिन्न बैठकों में उत्तराखंड के उच्च अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उजागर किया था। यह बताया गया है कि प्रवाह को बढ़ाकर दोगुना किया गया था लेकिन फिर भी ई.ए. को और कनेक्शन प्रदान करना है।

4.5 घाटों, शवदाहगृह कार्यों और सशर्त मूल्यांकन और संभाव्यता अध्ययन

कुल 24 घाटों के ₹ 2,416.65 करोड़ लागत की शवदाहगृह कार्य परियोजनाओं के लेखापरीक्षा में नमूना था। इन परियोजनाओं में केवल दो परियोजनाओं को ₹ 20.05 करोड़ की लागत से पूरा किया गया। ₹ 243.27 करोड़ लागत की एक परियोजना में 12 महीने की देरी हुई। इन परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.5.1. सी.ए. & एफ.एस. के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न होना और शुरुआती स्तर की गतिविधियों के लिए डी.पी.आर. की मंजूरी में विलंब

घाटों और शवदाहगृह के संबंध में शुरुआती स्तर की गतिविधियों[33] का कार्य और सशर्त मूल्यांकन और संभाव्यता अध्ययन पाँच सी.पी.एस.यू. को आवंटित किया गया था जो तालिका 4.7 में उल्लेखित है। मंत्रिमंडल ने सी.पी.एस.यू. की ई.ए. या नामांकन आधार के रूप में या इन ऐजेंसियों द्वारा जमा कार्य के रुप में संलग्न होने की (मई 2015) मंजूरी दे दी थी।

तालिका 4.7: एन.एम.सी.जी. द्वारा सी.पी.एस.यू. के साथ समझौता ज्ञापन का विवरण

सी.पी.एस.यू.	प्रारंभिक स्तर के क्रियाकलापों को करने के लिए समझौता ज्ञापन की तारीख	अन्तर्निहित राज्य और शहरों की संख्या
ई.आई.एल.	23 अप्रैल 2016	उत्तरप्रदेश में 32 शहरों (पाँच प्राथमिकता वाले शहरों शामिल) और अन्य राज्यों[34] में प्राथमिकता वाले शहर
ई.पी.आई.एल.	25 मई 2016	पश्चिम बंगाल में 42 शहर
एन.बी.सी.सी.	6 जून 2016	बिहार में 22 शहर

[33] प्रारंभिक स्तर के गतिविधियों में शामिल घाटों और शवदाहगृह का विकास/आधुनिकरण, ग्रामीण सीवेज नालियों का उपचार नदी तल सफाई

[34] उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

सी.पी.एस.यू.	प्रारंभिक स्तर के क्रियाकलापों को करने के लिए समझौता ज्ञापन की तारीख	अन्तर्निहित राज्य और शहरों की संख्या
एन.पी.सी.सी.	25 मई 2016	झारखंड में 2 शहर
वैपकोस	19 मई 2016	उत्तराखंड में 13 शहर और उत्तरप्रदेश में 25 शहर

तालिका 4.7 बताता है कि एन.एम.सी.जी. ने केवल प्रवेश स्तर गतिविधि के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। सी.ए.&एफ.एस. के लिए अभी भी हस्ताक्षर किया जाना बाकी था।

एन.एम.सी.जी. ने इस तथ्य को (अगस्त 2017) स्वीकार किया और कहा कि सी.ए.&एफ.एस. तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

4.5.2 काम की शुरुआत में देरी

4.5.2.1 बिहार में, पटना (जून 2013) में रिवर फ्रंट डेवलेपमेंट (आर.एफ.डी.) को जून 2016 तक पूरा करने के लिए एन.एम.सी.जी. द्वारा एस.पी.एम.जी. को ₹ 243.27 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई थी।

हमने देखा कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर साइट ठेकेदार को सौंप दी जाएगी। कुल 20 घाटों में, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण (जून 2017 तक) के कारण संवेदकों को चार[35] घाटों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मदों के विभिन्न घटकों के तहत काम की भौतिक प्रगति मई 2017 तक 60 से 92[36] प्रतिशत थी।

बिहार अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.यू.आई.डी.सी.ओ.) ने उत्तर दिया (जून 2017) कि चरणबद्ध ढंग से स्थल जारी करने के कारण संवेदक सीमित कार्य प्रगति हासिल कर पाए।

4.5.2.2 बिहार में, एन.बी.सी.सी. को तीन कार्य सौंपे गए थे जैसा कि तालिका 4.8 में विवरण दिया गया है।

[35] गई घाट, भद्र घाट, महावीर घाट एवं नौजर घाट

[36] घाट 92 प्रतिशत, प्रमनेड 72 प्रतिशत, श्मशान 90 प्रतिशत, इमारतें 60 प्रतिशत, विद्युत निर्माण-75 प्रतिशत और पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम (ई.एम.पी.) 84 प्रतिशत।

तालिका 4.8: एन.बी.सी.सी. द्वारा काम की प्रगति का विवरण

स्थान	संवेदक	शुरू करने की अनुबंधित तिथि	समाप्ति की अनुबंधित तिथि	अनुबंधित समापन अवधि	संविदा का मूल्य (₹ करोड़ में)
सोनपुर	मैसर्स त्रिलोक एंड एसोसिएट्स	12 जुलाई 2016	12 अक्टूबर 2017	15 माह	24.55
बक्सर	मैसर्स उर्मिला आरसीपी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	11 जुलाई 2016	11 अक्टूबर 2017	15 माह	26.92
मुंगेर*	मैसर्स राम कंस्ट्रक्शन कं	05 दिसम्बर 2016	05 मार्च 2018	15 माह	66.60

**सुल्तानगंज, मुंगेर और जमालपुर के लिए संयुक्त एल.ओ.ए.*

हमने पाया कि विभिन्न एजेंसियों से सभी स्थलों पर काम शुरू होने से पहले एन.ओ.सी. नहीं लिया गया था और नींव का कार्य प्रगति पर था।

एन.बी.सी.सी. ने कहा (मई 2017) कि बिहार सरकार द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने के लिए प्रस्तावित परियोजना समिति का गठन नहीं किया गया है। इसके अलावा, धीमी प्रगति का कारण भूमि की मंजूरी में देरी, नदी के जलस्तर में वृद्धि, काम के निष्पादन के दौरान आने वाली बाधाओं और संवेदकों को जुटाने में देरी बताया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कारणों को पहले देखा जा सकता था तथा एन.बी.सी.सी. को इनका प्रभाव कम करने तथा कार्य की गति हेतु उचित कदम उठाने चाहिए थे।

4.5.2.3 उत्तराखंड में, एन.एम.सी.जी. ने वैपकोस को ₹ 72.37 करोड़[37] "ऋषिकेष से देवप्रयाग और देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक घाट और विस्तृत शवदाहगृह के विकास" के लिए संस्वीकृति (मई 2016) प्रदान की। परियोजनाओं में 28 घाटों[38] (15 स्नान घाट और 13 श्मशान घाट) के विकास को ए.ए.&ई.एस. की तारीख से 18 महीने के भीतर (अर्थात् नवम्बर 2017 तक) पूरा किया जाना शामिल है।

परियोजनाओं के ए.ए.&ई.एस. की शर्तों के अनुसार, वैपकोस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एन.एम.सी.जी. की तरफ से सभी सांविधिक मंजूरी/अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करेगा। निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) में यह भी कहा गया था (अप्रैल 2016) कि संवेदकों को निर्माण के लिए स्पष्ट स्थल प्रदान किया जाएगा।

[37] ₹ 22.11 करोड़ + ₹ 50.26 करोड़

[38] देवप्रयाग से रूद्रप्रयाग खण्ड में 18 घाट/शवदाहगृह और ऋषिकेष से देवप्रयाग खण्ड में 10 घाट/शवदाहगृह।

- ऋषिकेष से देवप्रयाग तक खण्ड 10 घाटों में से, केवल चार घाटों में काम चल रहा था। इन चार घाटों में से, दो घाटों (देवप्रयाग-संगम और भारत) में वैपकोस ने एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना काम शुरू किया। हालांकि तीन घाटों (फुलचाट्टी-स्नान, फुलचाट्टी- अंतिम संस्कार और सिरासु) के एन.ओ.सी. प्राप्त हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सका था।

वैपकोस ने कहा (जून 2017) कि एन.ओ.सी., एस.डी.एम. और डी.एम. के पास लंबित पड़े थें।

- देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक खण्ड के 18 घाटों में से 10 घाटों के मामले में एन.ओ.सी. प्राप्त हुए। इनमें से नौ घाट के संबंध में काम शुरू किया गया था। एन.ओ.सी. की प्राप्ति के बावजूद फरसु घाट पर काम शुरू नहीं हुआ था। अन्य दो घाटों (कीर्तिनगर-पुरानी गंगा घाट और कीर्तिनगर-नई गंगा घाट) पर कार्य संबंधित डीएम से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना वैपकोस द्वारा शुरू किया गया था। सात घाटों के संबंध में काम शुरू नहीं किया गया था।

वैपकोस ने उत्तर दिया (जून 2017) कि उसने दो घाटों अर्थात कीर्तिनगर पुरानी गंगा घाट और कीर्तिनगर नई गंगा काम निर्माण कार्य शुरू होने से पहले एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद काम शुरू किया था। फरसु में घाट के लिए, एन.एच.ए.आई. ने कहा कि यह घाट उनकी सड़कों के विस्तार के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर है। यह मामला एस.पी.एम.जी., उत्तराखंड द्वारा हल किया जा रहा था और वैपकोस अगले निदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। वैपकोस का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रगति रिपोर्ट (मार्च 2017 के लिए) में यह बताया गया था कि एन.ओ.सी. लंबित थें और इन घाटों में कार्य प्रगति पर था।

इस प्रकार, वैपकोस ने काम शुरू करने के लिए राज्य प्राधिकरणों से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना संवेदकों को कार्य सौंप दिया था।

4.5.2.4 उत्तर प्रदेश, (i) एन.एम.सी.जी. ने ₹ 27.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर यमुना नदी (मथुरा खंड) के किनारे पर चयनित स्थानों पर एक स्नान घाट और आठ शमशान घाटों के निर्माण कार्य हेतु परियोजना को मंजूरी (दिसंबर 2016) दी। परियोजना को पूरा करने की अवधि ए.ए.&ई.एस. जारी करने की तारीख से 18 महीने तक थी।

उत्तर प्रदेश जल निगम, मथुरा, नगर निगम परिषद, मथुरा और एस.पी.एम.जी., उत्तर प्रदेश के सदस्यों के एक निरीक्षण दल ने 28 दिसंबर 2016 को मथुरा खंड में इन स्थलों का दौरा किया। निरीक्षण के बाद भी, वैपकोस इन स्थलों के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों से एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं पाए। वैपकोस ने तथ्यों को स्वीकार करते समय कहा

कि एन.ओ.सी. की प्रक्रिया निर्माण कार्य हेतु लिए जानेवाले घाटों और शमशानों की रूपरेखा का एन.एम.सी.जी. से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होने पर शुरू होगी।

इस प्रकार, संबंधित प्राधिकरण से एन.ओ.सी. की गैर-प्राप्ति के कारण मथुरा खंड के घाटों का निर्माण कार्य ए.ए.&ई.एस. की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद भी शुरू नहीं हो सका था।

(ii) एन.एम.सी.जी. ने 16 महीने के भीतर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) द्वारा निष्पादित करने के लिए ब्रिजघाट-गढ़मुकतेश्वर में घाट कार्य के लिए परियोजना को मंजूरी (सितंबर 2016) दी। हालांकि, उसने संविदा प्रदान जाने के 10 महीनों से अधिक समय और संस्वीकृति जारी होने के आठ महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक (जून 2017) एन.एम.सी.जी. द्वारा प्राथमिकता अभ्यास (फरवरी 2017) तथा उनके द्वारा मई 2017 में जारी निर्देशों के कारण संवेदकों को कार्य स्थल नहीं सौंपा है। इसलिए संस्वीकृति जारी होने के 16 महीनों के भीतर काम पूरा होने की संभावना किंचित प्रतीत होती है क्योंकि निर्माण कार्य गतिविधियाँ अभी तक (जून 2017) शुरू नहीं हुई हैं।

4.5.2.5 पश्चिम बंगाल में, भाटपारा शवदाहगृह (₹ 3.73 करोड़ के लिए 22 सितंबर 2016 को संस्वीकृत) और गरुलिया घाट (₹ 11.61 करोड़ के लिए 23 सितंबर 2016 को संस्वीकृत) का कार्य ई.पी.आई.एल. को अधिकतम समय 21 महीने (जून 2018) में कार्य समाप्ति के लिए दिया गया था। हमने देखा कि काम की वास्तविक प्रगति बहुत धीमी थी, क्योंकि ई.पी.आई.एल. ने कार्य प्रगति का केवल क्रमश: 1.15 प्रतिशत और 2.48 प्रतिशत ही व्यय किया था। एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि भाटपारा शवदाहगृह में मौजूदा पुराना विशाल शवदाहगृह भवन निवासियों द्वारा घिरा हुआ है। अतः निवासियों की सुरक्षा के लिए विध्वंस कार्य हेतु काफी समय की आवश्यकता है। द्वितीय, शवदाहगृह भवन के पास स्थित मौजूदा घाट के लिए पहुँच पथ को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, कार्य यथा निर्धारित समय में शुरू नहीं किया जा सका। गरूलिया घाटों में, ई.पी.आई.एल. को मार्च 2017 में ही स्थल सौंपा गया था। कार्यस्थल पर गंगा नदी के पानी की वृद्धि के कारण, अप्रैल 2017 के दूसरे सप्ताह के बाद कोई कार्य करना संभव नहीं हो सका।

घाटों और शवदाहगृह से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि उन्होंने फरवरी 2017 में प्रथमिकता तय करने का काम किया क्योंकि सी.पी.एस.यू. ने निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद भी काम शुरू करने में देरी की थी। एन.एम.सी.जी. ने यह भी कहा कि ए.ए.&ई.एस. और एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना कई स्थानों पर काम शुरू हुआ। एन.एम.सी.जी. का उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि करता है।

4.6 अन्य मामलें

4.6.1 मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य गतिविधियों पर खर्च

ई.आई.एल. ने (अगस्त 2016) एन.एम.सी.जी. से मंजूरी प्राप्त किए बिना मेसर्स वी.आर.सी. कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को बिथूर घाट और शवदाहगृह के लिए परियोजना आवंटित कर दिया। इसके अलावा, 31 मार्च 2017 तक, ई.आई.एल. ने बिथूर पर ₹ 1.74 करोड़ की राशि का व्यय किया था जिसे कानपुर परियोजना हेतु निधि से पूरा किया गया है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि अनुमोदित कार्यों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। एन.एम.सी.जी. ने आगे कहा कि परियोजना मंजूरी पत्र के अनुसार, एन.ओ.सी. समेत सभी अनुमति मिलने के बाद ही निविदा दी जा सकती थी तथा ई.आई.एल. से कार्य निष्पादन हेतु स्थापित प्रक्रिया के पालन की आशा किया जाता है।

4.6.2 ओ. एंड एम. गतिविधियों में राजस्व उत्पादन तंत्र का प्रावधान नहीं होना

एन.एम.सी.जी. और ई.आई.एल. के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, छह से 12 महीने तक प्रचालन और अनुरक्षण (ओ.&एम.) निर्माण कार्य संविदा का हिस्सा होगा।

एन.एम.सी.जी. ने परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति जारी करते समय यह भी निर्धारित किया था कि ओ.&एम. में लगे संगठन को ओ.&एम. गतिविधियों को बनाए रखने के लिए वहाँ राजस्व उत्पादन तंत्र बनाना जरूरी है।

हमने देखा कि परियोजनाओं को संस्वीकृति देते समय, ई.आई.एल. ने ओ.&एम. के लिए प्रावधान किया, लेकिन संस्थागत व्यवस्था और ओ.&एम. गतिविधियों हेतु राजस्व उत्पादन तंत्र के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया, जो परियोजना के तहत सृजित सुविधाओं के ओ.&एम. को प्रभावित कर सकता है।

एन.एम.सी.जी. ने कहा (अगस्त 2017) कि ई.आई.एल., एन.एम.सी.जी. और एस.पी.एम.जी. के परामर्श के तहत एक साध्य समाधान तब तैयार करेगी, जब परियोजना समाप्ति के चरण में हो।

उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि एन.एम.सी.जी. ने परियोजनाओं के लिए ए.ए.&ई.एस. जारी करते समय निर्धारित किया था कि ई.आई.एल. को निष्पादन और डी.एल.पी. के दौरान संस्थागत ढांचे और ओ.&एम. योजना का पता लगाना था।

4.6.3 घाटों तक पहुंच मार्ग के लिए अनुपयुक्त योजना

मथुरा जिले में घाटों के स्थल दौरे के दौरान, हमने पाया कि ये सभी घाट यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, एक रामगंगा/काली नाडी नदी पर एक घाट तक, निर्माण किए जाने वाले

स्थलों तक कोई पक्का पहुँच मार्ग नहीं था। लोगों को घाट तक एक संकीर्ण और कच्चे सड़क से होकर पहुंचना होता है जो कि बरसात के मौसम में कीचड़ और पानी से भरा रहेगा।

एन.एम.सी.जी. ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि पहुंच सड़कों का विकास घाटों के लिए एन.एम.सी.जी. जनादेश का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह आशा की जाती है कि सी.पी.एस.यू. को एक निश्चित स्थान पर घाट/शवदाहगृह का प्रस्ताव करते समय यह सुनिश्चित कर लेगा कि स्थल तक पहुंच उपलब्ध है।

उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि सभी घाटों तक पहुँच मार्गों को असाध्य और अव्यवहारिक पाया गया है जो दर्शाता है कि डी.पी.आर. तैयार करते समय वैपकोस द्वारा पहुंच सड़कों के निर्माण की व्यवहार्यता पर समुचित विचार नहीं किया गया था।

4.7 बहुपक्षीय एजेंसी द्वारा निष्पादित परियोजना

जी.एफ.आर., 2005 के नियम 234 (3&4) के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नोडल एजेंसी के रूप में, कानूनी समझौता करेगा तथा भारत सरकार के विभागों एवं बाहरी एजेंसियों द्वारा समझौता में तय किए जाने वाले कार्यों में वित्तीय मामलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा।

आगे, संयुक्त सचिव, डी.ए.ई., वित्त मंत्रालय तथा रेजीडेंट प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) भारत के बीच 1 मार्च 2013 को हस्ताक्षरित राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यक्रम (2013 से 2017) के अनुसार, कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के डी.ई.ए. के संयोजन में राष्ट्रीय रूप से निष्पादित किया जाएगा। डी.ई.ए., यू.एन.डी.पी. के साथ राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यक्रम पर हस्ताक्षर तथा अनुमोदन करते हुए यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्वामित्व तथा निर्देशन करेगा।

- एन.एम.सी.जी. ने नमामि गंगे योजना के तहत झारखंड के साहिबगंज जिले में ग्रामीण स्वच्छता पहल के लिए ₹ 127.83 करोड़ की कुल लागत पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) को एक परियोजना की मंजूरी दी (अप्रैल 2016) और आर्थिक कार्य विभाग (डी.ई.ए.), भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त किए बिना एस.पी.एम.जी. को ₹ 15.25 करोड़ (जून और जुलाई 2016) जारी किया। इसके अलावा, झारखंड राज्य सरकार ने किसी औपचारिक तंत्र के बिना यू.एन.डी.पी. को अग्रिम के रूप में पाँच करोड़ रूपए जारी किया (अगस्त 2016)।

डी.ई.ए. ने यू.एन.डी.पी. (अगस्त 2016) के साथ-साथ एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. (अक्टूबर 2016) को सावधान किया कि इस परियोजना पर आगे की प्रचालन और हस्ताक्षर के लिए सम्यक अनुमोदन और परामर्श के बाद ही विचार किया

जाएगा। डी.ई.ए. (दिसंबर 2016) ने व्यय के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों और जी.एफ.आर., कार्यान्वयन पार्टनर के रूप में यू.एन.डी.पी. के चयन के लिए प्रक्रिया, यू.एन.डी.पी. को फंड ट्रांसफर के उल्लंघन को उजागर किया करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) जारी किया। इसने एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. को सूचित किया कि परियोजना के लिए भारत सरकार ने यू.एन.डी.पी. को कोई पैसा नहीं दिया जाये।

इस प्रकार, एन.एम.सी.जी. ने लागू नियमों और विनियमों के पालन के बिना परियोजना को मंजूरी दी।

- इस परियोजना के तहत, अन्य ट्रस्टों/संगठनों से ₹ 23.27 करोड़ जुटाए जाने के लिए का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, निधि की स्थिति का पता लगाने के लिए अन्य स्रोतों (भारत सरकार और यू.एन.डी.पी. के अलावा) से फंड जुटाने के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

परियोजना का उद्देश्य बेहतर स्वच्छता आदतों, गंगा नदी में बहने वाले अपशिष्ट जल और झंझा-नीर के प्रवाह गुणवत्ता के माध्यम से झारखंड में गंगा नदी बेसिन के 78 गांवों में लगभग 45,000 घरों की स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य था। हालांकि, यू.एन.डी.पी. ने अन्य कार्यों, जैसे कि आधार कार्ड बनाने हेतु, बैंक खाता खोलने हेतु विशेष कैम्प, पी.डी.एस. व्यवस्था पर ध्यान, वृद्ध, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन, क्षेत्र से टी.बी. के उन्मूलन हेतु विशेष जोर, इत्यादि जो स्वीकृत परियोजना का हिस्सा नहीं थें, को पूरा किया।

इस प्रकार, झारखंड राज्य सरकार ने यू.एन.डी.पी. के साथ कोई भी समझौता करने से पहले ही इसे अग्रिम राशि उपलब्ध करा कर यू.एन.डी.पी. के लिए अनुचित पक्षपात किया। इस प्रकार, कार्यपालक एजेंसी के रूप में एक बहुपक्षीय एजेंसी को शामिल करने में अध्यवसाय की कमी थी।

4.8 निष्कर्ष

एन.एम.सी.जी. नमामि गंगे कार्यक्रम की कैबिनेट मंजूरी के अनुसार एस.टी.पी. के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लक्ष्य को पूरा न कर सका। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के चयनित शहरों में गंगा नदी में अशोधित सीवेज का छोड़ा जाना पाया गया। एस.पी.एम.जी./ई.ए. द्वारा सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन से संबंधित निष्पादित परियोजनाओं को भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, समय और लागत में उतार-चढ़ाव, संवेदकों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, सभी घरों से संपर्क न होने से एस.टी.पी. के न्यून-उपयोग, आदि की वजह से निष्पादन में देरी का सामना करना पड़ा। सी.पी.एस.यू. द्वारा निष्पादित किए जा रहे घाटों और शवदाहगृह से संबंधित परियोजनाओं के मामले में

परियोजनाओं का काम शुरू होने में देरी, ए.ए.&ई.एस. प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य गतिविधियों, ग्राम सीवेज ड्रेन शोधन की गैर-योजना, एन.एम.सी.जी. और सी.पी.एस.यू. के बीच समन्वय की कमी, राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों से एन.ओ.सी. की स्वीकृति प्राप्त करने में देरी और भूमि की अनुपलब्धता, आदि के कारण प्रभावित हुई।

4.9 अनुशंसाएँ

हम अनुशंसा करते हैं कि

i. एन.एम.सी.जी. सभी शहरों और गांवों से संबंधित सीवरेज की क्षमता के अंतराल को संबोधित कर सकता है और तदनुसार सीवेज सिस्टम, एस.टी.पी., अवरोधन और पथांतरण कार्य की समयबद्ध तरीके से योजना बना सकता है।

ii. एन.एम.सी.जी./एस.पी.एम.जी., यह सुनिश्चित करने के लिए कि गंगा नदी में कोई अशोधित सीवेज प्रवाहित न की जाए, सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना और उनके प्रचालन के साथ अवरोधन और पथांतरण परियोजनाओं समक्रमिक कर सकता है।

iii. एन.एम.सी.जी., एस.पी.एम.जी. संविदा देने से पहले राज्य सरकार प्राधिकरणों और कार्यपालक एजेंसियों के साथ परामर्श करके भूमि उपलब्ध कराने के लिए त्रिपक्षीय समझौता कर सकते हैं।